

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग-2
संख्या-452/V-2/2018-48(आ0)/2017टी0सी0
देहरादून: दिनांक 14 मार्च, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 22 के अधीन उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (Uttarakhand Real Estate Regulatory Authority) में श्री मोहन चंद जोशी (से0नि0, आई0ए0एस0) 26-नवयुग इन्कलेव, इन्दिरापुरम फेज-3, जी0एम0एस0 रोड देहरादून एवं श्री चन्द्र मोहन सिंह बिष्ट (से0नि0, आई0ए0एस0) 292/1 बसंत विहार, न्यू फारेस्ट, देहरादून को सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
2- सदस्य उत्तराखण्ड भू-संपदा नियामक प्राधिकरण पर नियुक्त पदधारक को उत्तराखण्ड भू-संपदा (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम-2017 के नियम-18 के प्राविधानानुसार नियत वेतन एवं सुविधाएं अनुमन्य होंगी। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष में से जो भी पहले घटित हो तक रहेगा।
3-यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या-452/V-2/2018-48(आ0)/2017 टी0सी0 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 2- निजी सचिव, मा0 मंत्री, आवास विभाग उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 3- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, गढवाल, /कुमाऊ, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
- 5- रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड/समस्त प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
- 7- महालेखाकार, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 9- श्री मोहन चन्द्र जोशी (सेवानिवृत्त आई0ए0एस0) 26-नवयुग इन्कलेव, इन्दिरापुरम फेज-3, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून।
- 10- श्री चन्द्र मोहन सिंह बिष्ट (सेवानिवृत्त, आई0ए0एस0) 292/1 बसंत विहार, न्यू फारेस्ट, देहरादून।
- 11- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र सचिवालय परिसर देहरादून।
- 12- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं मा0 निदेशक, आवास विभाग

आज्ञा से,
(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव